न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –142/2019 (Bank Case)

एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा –सी स्कीम जिला जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री श्याम विजय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजय (ऋणी/बंधककर्ता)
2. श्री राम बाबु विजयवर्गीय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजयवर्गीय –(ऋणी)

पता– निवासी– 72 बी, अल्फा कॉम्पलेक्स, ग्राम कोटरी, तहसील लाडपुरा, कोटा–324001

पता–मकान नं0 10, विजय दर्शन एनक्लेव, दादाबाडी, कोटा–324009

पता–श्री श्याम विजय गिफ्ट शोपी, दुकान नं0 ए 3, उत्कर्ष सैल्स कॉर्नर, गुमानपुरा कोटा

पता–श्री राम बाबु विजश्वर्गीय पुरूडेंट एकेडमी नरेन्द्र प्लाजा 2 फ्लोर, नागरिक सहकारी बैंक, आर्य समाज रोड, कोटा–324007

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002

उपस्थितः–

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 17.12.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **एच0डी0एफ0सी0 लिमिटेड शाखा –सी स्कीम जिला जयपुर** में स्थित हैं, से अप्रार्थीगण ने दिनांक 27.08.2014 व 28.12.2013 को रूपये 5,56,236/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख छप्पन हजार दो सौ छत्तीस रूपये मात्र) व 12,33,466/– (अक्षरेः रूपये बारह लाख तैतीस हजार चार सौ छियासठ रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री श्याम विजय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजय, श्री राम बाबु विजयवर्गीय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजयवर्गीय, 72 बी, अल्फा कॉम्पलेक्स, ग्राम कोटरी, तहसील लाडपुरा, कोटा–324001 राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट)** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 28.02.2019 व 30.04.2017 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खातों मे 14,02,839/– (अक्षरे चौदह लाख दो हजार आठ सौ उन्नचालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.08.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

27.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 27.09.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री श्याम विजय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजय, श्री राम बाबु विजयवर्गीय पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र विजयवर्गीय, 72 बी, अल्फा कॉम्पलेक्स, ग्राम कोटरी, तहसील लाडपुरा, कोटा–324001 राजस्थान स्थित सम्पत्ति (बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 17.12.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner